

महकीकत

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 27.02.13 से 27/04/13 तक

आदेश पत्रक:

RTPS APPLICATION NO. 0354 Date 27.02.13

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं० 75/2013-2014

हल्का सं० 06

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

12/03/13

श्री/श्री मती राधु सिंह
पिता/पति शमशेर सिंह
ग्राम खलपुर पो. फतुहां
थाना फतुहां जिला पटना केवाला सं० 807 दिनांक 04.04.2000

/आपसी बँटवारी के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा	लगान
<u>खलपुर</u>	<u>15</u>	<u>25</u>	<u>136</u>	<u>03 1/2</u>	<u>0.25</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 12/03/13 को उपास्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

12/03/13

25/03/13

अभिलेख उपास्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता के नाम से नहीं मिलती है अतः आवेदक /आवेदिका से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/13 को उपास्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

26/03/13

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बांद सं० 75 / 2012-2013

हल्का सं० 06

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.04/17 11/04/10	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक /आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है, चुंकि हल्का कर्मचारी/अं०नि० के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन कि जमाबंदी विकेता/दानकर्ता/वाक्दाता के नाम से पंजी-II में नहीं मिलती है।उक्त वांछित साक्ष्य के बगैर दा०खा० स्वीकृत करना संभव प्रतीत नही होता है, अतः ऐसी परस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के अभाव में आवेदक /आवेदिका के आवेदन को<u>रिहलू</u>.....किया जाता है। आवेदक /आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते है</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>↓ अंचलाधिकारी फतुहां।</p>	<p>↓ अंचलाधिकारी फतुहां।</p>